कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{सीपीसी} की बैठक सं0 10/2000 दिनांक 18-1-2000 को जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सायं 4·00 बजे सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के·पी· सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक{आयोजना} जविप्रा,जयपुर ।
3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक{वित्त} जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक{अभियांत्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी·अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक{एम·पी·} जविप्रा,जयपुर ।
2- श्री बी·एस· परमार, उपायुक्त, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री वासुदेव शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-1, जविप्रा,जयपुर ।
5- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री गिरीज अग्रवाल, सहायक आयुक्त, जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर ।
7- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1,जविप्रा,जयपुर

{1} बीपीसी-II{सीपीसी} की बैठक सं0 9/2000 दिनांक 17-1-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{2} विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2·1- एजेण्डा सं0 10/2000- 1 :- जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिक कोपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी की ढेहर के बालाजी के पास स्थित आवासीय योजना { जोन ए-2} :-

प्राधिकृत अधिकारी जोन ए-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार

गया । पूर्व में इन भूखण्डों पर हाई टेन्शन लाईन होने के कारण ये भूखण्ड अस्वीकृत किये गये थे ये हाई टेन्शन लाईन अब हट चुकी है ।

2•2- एजेण्डा सं0 10/2000- 2 :- अरविन्द नगर गृह निर्माण सह0 समिति की योजना उदय नगर-ए (जोन बी-1) :-

इस योजना में, योजना क्षेत्र से बाहर होने के कारण भूखण्ड सं0 11 और 12 तथा 90 से 100 कुल 13 भूखण्ड अस्वीकृत किये गये थे । उपायुक्त बी-1 ने बताया कि अब इस भूमि को धारा 90बी में रिज्यूम किया जा चुका है और इन भूखण्डों की कीमत योजना के लिए निर्धारित दर में समाहित की जा चुकी है । उपायुक्त द्वारा बतायी गयी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन 13 भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

2•3- एजेण्डा सं0 10/2000- 3 :- छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सह0 समिति की योजना शांति नगर (जोन बी-1) :-

योजना के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड सं0 58, 59, 66, 67, 68, 69, 77, 78 कुल 8 भूखण्ड योजना क्षेत्र में से बाहर होने के कारण पूर्व में अस्वीकृत किये गये थे । उपायुक्त बी-1 ने बताया कि अब इन भूखण्डों को धारा 90 बी के तहत रिज्यूम किया जा चुका है और इनकी कीमत योजना की नियमन दर में समाहित कर ली गयी है और मौके पर कोई विवाद नहीं है । उपायुक्त द्वारा बतायी गयी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन 8 भूखण्डों को अब अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

2•4- एजेण्डा सं0 10/2000- 4 :- सिविल लाईन्स गृह निर्माण सह0 समिति की योजना सिविल लाईन्स (जोन ए-1) :-

उपआयुक्त, ए-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर भूखण्ड सं0 82 और 83 के बीच 25 फिट की सड़क छोड़ते हुए भूखण्ड सं0 82 का साईज संशोधित कर 75' x 50' निर्धारित करने का निर्णय लिया गया ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वननि/सीपी/10/2000/डी- —

दिनांक : 19.1.2000

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा,जयपुर ।

4- अति०आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं)/(समन्वय) जविप्रा,जयपुर ।

5- वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर ।

6- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1,ए-2, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2 एवं डी, जविप्रा,जयपुर ।

7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा,जयपुर ।